पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने पांच विधेयकों पर अपनी अनुमति दी

लखनऊः 21 मार्च, 2016

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजे गये पांच विधेयकों पर अनुमति प्रदान कर दी हैं।

राज्यपाल द्वारा अनुमोदित विधेयकों में (1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 (2) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 (3) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016 (4) उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास (संशोधन) विधेयक, 2016 (5) उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 हैं।

उल्लेखनीय है कि अनुमोदित विधेयक राज्य विधान सभा से 8 मार्च, 2016 एवं विधान परिषद द्वारा 9 मार्च, 2016 को पारित हुए थे तथा 15 मार्च, 2016 को राज्यपाल की अनुमति हेतु राज्य सरकार द्वारा राजभवन प्रेषित किये गये थे।

अंजुम/ललित/राजभवन (114/36)